न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

मु.न.– 120/2024
गोरूनाथ पुत्र सुरजनाथ जाति नाथ निवासी सारायण तहसील तारानगर (चूरू)

— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

— अप्रार्थी —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट
निर्णय

दिनांक 13.06.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा वास सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू के ख.नं. 729/245 तादादी 03.1107 हैक्टयर व ख.नं. 731/245 तादादी 03.1107 हैक्टयर हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम गुरूनाथ पुत्र सुरजनाथ अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थी का सही नाम गोरूनाथ पुत्र सुरजनाथ है। प्रार्थी के नाम के आधार कार्ड, मूल निवास पत्र, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम गोरूनाथ पुत्र सुरजनाथ है, जो कि प्रार्थी का सही नाम है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीगण को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि रोही मौजा वास सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता नं 295 ख.नं. 729/245 तादादी 03.1107 हैक्टयर व खाता संख्या 296 के ख.नं. 731/245 तादादी 03.1107 हैक्टयर में उसका नाम गोरूनाथ दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर गिरदावर हल्का से जांच रिपोर्ट ली गई। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। जांच रिपोर्ट में गिरदावर हल्का ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि की हैं। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नहीं किया। बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराया गया। प्रार्थना पत्र व इसके संलग्न किये गये दस्तावेज तथा जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गुरूनाथ अंकित है। प्रार्थी अपना नाम अन्य दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि के मुताबिक गोरूनाथ दर्ज करवाकर संशोधन चाहता हैं। संलग्न फोटोप्रति विक्रय पत्र से पाया गया हैं। विवादित भूमि प्रार्थी ने जरिये बैनामा संख्या 202403341100615 दिनांक 12.02.2024 कार्यालय उप पंजीयक तारानगर द्वारा क्रय की गई है। उक्त बैनामा में प्रार्थी द्वारा अपना नाम गोरूनाथ ही अंकित करवाया हैं संलग्न अन्य रिकॉर्ड यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड व जांच रिपोर्ट से प्रार्थी का दस्तावेजीय नाम गोरूनाथ होना पाया जाता हैं।

वर्णित विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अतः स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि रोही ग्राम बास सारायण के खसरा नं. 729/245 तादादी 3.1107 हैक्ट., खसरा नं. 731/245 तादादी 0.1107 हैक्ट. के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गोरूराम के स्थान पर गोरूनाथ दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करें। शेष अंकन यथावत रखा जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)